



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



(संबद्धता शाखा)

न/के.मा.शि.बो./संबद्धता/राजकीय/100052/2021/15221

दिनांक: 23/03/2021/

प्रधानाचार्या,

24/03/2021

केन्द्रीय विद्यालय,
ऑगोल हाउसिंग बोर्ड कॉलानी
आंध्र प्रदेश - 523001.

रजि/Inward No. 27 दिनांक/Date 30/03/21
फाइल नं./File No. 210322 Sign.....

विषय: संबद्धता विस्तार के संबंध में।

संदर्भ:

महोदय/महोदया,

1. उपरोक्त विषयांतर्गत, निम्नलिखित विवरणानुसार, संबद्धता विस्तार शुल्क की अभीस्वीकृति दी जाती है :

धनराशि एवं रसीद का विवरण:	धनराशि	रसीद संख्या	रसीद दिनांक
	रु. 25000/-	CBSEEXGEO12021221	31.01.2020

सत्र एवं राशि का विस्तृत विवरण:	सत्र	कुल संबद्धता विस्तार शुल्क
	01/04/2020 से 31/03/2025	रु. 25000/-

2. संबद्धता परिपत्र संख्या 01/2018 के अनुसार, 01.04.2019 से बोर्ड द्वारा वार्षिक शुल्क रु. 3000/- रुपये से बढ़ाकर रु. 5000/- प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

3. संबद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में कोई अन्य/पृथक पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

4. इसके अलावा, भविष्य में, विद्यालय केवल ऑनलाईन मोड में ही बोर्ड की वेबसाईट www.cbseaff.nic.in पर संबद्धता विस्तार हेतु आवेदन करेंगे। अतः ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

सहायक सचिव (राजकीय)



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

